न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा
जमानत प्रार्थना पत्र सं0: 7418/2019
सी.एन.आर.नं0 यू.पी.ए.जी-01-023716-2019

अभय पाण्डेय पुत्र श्री मदन मोहन पाण्डेय उर्फ मदनू निवासी कसैला, थाना जैथरा, जिला एटा। आयु करीब 20 वर्ष।

..... अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....विपक्षी

मु0अ0सं0: 778/2019
धारा: 366, 376 भा0द0सं0
थाना: खंदौली, जिला आगरा।

दिनांक: 07.01.2020

आदेश

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त अभय पाण्डेय द्वारा मु0अ0सं0 778/2019 धारा 366, 376 भा0द0सं0 थाना खंदौली, जिला आगरा मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के पेरोकार मदन मोहन ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अंकित है कि यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी जयपाल शर्मा द्वारा दिनांक 17.12.2018 को थाने पर तहरीर इस आशय की दी गई कि उसकी भान्जी उम्र लगभग 18 वर्ष को दिनांक 05.12.2018 को शाम 5 बजे अभय पाण्डेय उर्फ छोटू बहला फुसलाकर ले गया है, जिनका काफी खोजबीन करने पर भी अभी तक कोई पता नहीं चला है। उसकी भान्जी के पास मोबाइल है जिसमें दो सिम है। उसकी भान्जी के साथ काई अनहोनी न हो जायें।

वादी की तहरीर पर अभियुक्त अभय पाण्डेय के विरूद्व थाना खंदौली पर मु0अ0सं0 778/2019 धारा 366 भा0द0सं0 में प्राथमिकी अंकित की गई।

विवेचना के दौरान उक्त अपराध में धारा 376 भा0द0सं0 की बढोत्तरी की गई।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसको इस मामले में झूठॉ फॅसाया गया है जबकि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त अपराध कारित नहीं किया गया है। यह भी कथन किया गया कि प्राथमिकी के अनुसार घटना

दिनांक 05.12.2018 की बताई गई है जबकि घटना की रिपोर्ट दिनांक 17.12.2019 को कराई गई है, इस देरी का कोई उचित स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है। वादी द्वारा प्राथमिकी में अपनी भान्जी की उम्र 18 वर्ष अंकित की गई है जिसके अनुसार अपहृता बालिग है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं बताया गया है। अभियुक्त को घटना के लगभग एक वर्ष बाद गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार, आगरा में निरूद्व है, अतः जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है। अभियुक्त के द्वारा वादी की भान्जी उम्र लगभग 18 वर्ष का अपहरण उसके साथ आयुक्त सम्भोग अथवा विवाह के आशय से करते हुए उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक के तर्को को सुना तथा उपलब्ध केस डायरी का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त के विरूद्व वादी की भान्जी उम्र लगभग 18 का अपहरण उसके साथ आयुक्त सम्भोग अथवा विवाह के आशय से किए जाने तथा उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किए जाने का आरोप है।

अपहृता द्वारा अपने 164 द0प्र0सं0 के बयान में कथन किया गया है अभय से उसका लव–अपेयर्स था, लेकिन वर्ष 2016 में पढ़ाई समाप्त होने के बाद उसने अभय को छोड़ दिया था। अभय उसको परेशान करता था तथा उसको बदनाम करने की धमकी देता था। दिनांक 05.12.2018 को शाम 5 बजे वह मार्केट से घर वापिस आ रही थी, तभी पीछे से अभय गाड़ी में दो तीन लड़को के साथ आया और उसको अपनी गाड़ी में खींच लिया। जब वह चिल्लाई तो एक लड़के ने उसको रूमाल में कुछ सुंघा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब उसकी ऑख खुली तब वह एक कमरे में बन्द थी। उसने उसके साथ बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी भी दी। उसके साथ जो लड़के थे, वह भी उसके साथ छेड़छाड़ करते थे।

यद्यपि पीड़िता के स्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि दिनांक 01.03.1999 बताई गई है तथा पीड़िता द्वारा भी अपने बयान 164 द0प्र0सं0 में अपनी उम्र 18वर्ष बताई है, जिसके अनुसार पीड़िता बालिग है किन्तु पीड़िता द्वारा अपने बयान 164 द0प्र0सं0 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा उसको गाड़ी में ले

जाकर उसको बेहोश कर, एक कमरे में बन्द कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया। जहॉ तक रिपोर्ट देरी से कराये जाने का प्रश्न है, ऐसे मामले जहॉ पर परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है, में प्रायः विलम्ब से प्राथमिकी दर्ज कराया जाना अप्राकृतिक प्रतीत नहीं होता है इसके अतिरिक्त स्वंय अपनी एवं अपने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा के मूल्य पर पीड़िता द्वारा अभियुक्त को झूंठा एवं निरर्थक नामित किए जाने का कोई युक्तियुक्त औचित्य एवं आधार दर्शित नहीं होता है। अभियुक्त द्व ारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है।

तदनुसार अभियुक्त अभय पाण्डेय का जमानत प्रार्थना पत्र खण्डित किया जाता है।

ह0
(मयंक कुमार जैन)
सत्र न्यायाधीश, आगरा।
07.01.2020